न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)
पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री रवि वर्मा , आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक
03/19	एफएसएस एक्ट, 2006	14/01/2019

1. वेदप्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मु0चि0 एवं स्वा0 अधिकारी सवाई माधोपुर ।
–आवेदक

बनाम

1. जगदीश प्रसाद मित्तल पुत्र श्री बद्री प्रसाद मित्तल आयु 62 वर्ष निवासी लोहार गली गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर प्रो0 मैसर्स– बद्रीलाल जगदीश प्रसाद पंसारी गली गंगापुर सिटी।
2. सुनिल खण्डेलवाल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद खण्डेलवाल उम्र 40 वर्ष निवासी प्लॉट नं0 3 गली नं0 3 माधोविलास हॉस्पिटल के पास ब्रहमपुरी जयपुर प्रो0 मैसर्स सुनिल खण्डेलवाल 5 माधोविलास के पास जयपुर।
–अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

दिनांकः– 21.08.2024

निर्णय

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेदप्रकाश पूर्विया , खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 12/10/2017 को 05:00 पी.एम. पर मैसर्स बद्रीलाल जगदीश प्रसाद पंसारी गली गंगापुर सिटी पर पहुंचा वहा पर जगदीश प्रसाद मित्तल पुत्र श्री बद्री प्रसाद मित्तल आयु 62 वर्ष निवासी लोहार गली गंगापुर सिटी उपस्थित था को आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र मांगा जिस पर विक्रेता ने मौके पर खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र की प्रति पेश की। तत्पश्चात् विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया विक्रय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ रसगुल्ला (उत्सव) 1 किलोग्राम के 22 डिब्बे दुकान में रखे हुये थे के मिलावटी एवं मिसब्राण्ड होने का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लेने की सूचना फार्म नं0 5 ए की प्रति गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जो की न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक द्वारा खाद्य पदार्थ रसगुल्ला (उत्सव) 1 किलोग्राम के 4 डिब्बे वास्ते नमूना जांच हेतु कय कर राशि 480/– रू0 नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है। आवेदक ने खरीदे गए खाद्य पदार्थ रसगुल्ला (उत्सव) 1 किलोग्राम के 4 डिब्बे मूल ही लेकर चार लेबल तैयार किये गये , जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक–एक लेबल चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को मोटे खाकी कागज में लपेटकर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप कमांक एच–1291 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाया प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने का कहां जिसे विक्रेता ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा कार्यालय में पहूँचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर एवं 2 प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफ में सलीम वाहन चालक द्वारा खाद्य विश्लेषक कोटा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के डी0ओ0 (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक/एमएसएसए/2017/3789 दिनांक 13.12.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विषलेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 828/एफएसएसएल/कोटा/एक्ट/2017/971 दिनांक 07.12.2017 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ रसगुल्ला (उत्सव) मिसब्राण्डेड पाया गया।

उक्त प्रकरण में दोनों अभियुक्तों ने मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ रसगुल्ला (उत्सव) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 2 **(ii)** का उल्लंधन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में जुर्माने योग्य अपराध है एवं अभियुक्त सं0 2 ने उक्त खाद्य पदार्थ के क्रम में बिल/वारंटी आदि प्रस्तुत नहीं कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 27 (2)**(d)** का उल्लंधन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 में जुर्माने योग्य अपराध है साथ ही अभियुक्त सं0 2 ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के निर्देशों की पालना (आवश्यक दस्तावेज नहीं भिजवाकर) नहीं कर खाद्य सुरक्षा एवं माकन अधिनियम 2006 की धारा 55 में जुर्माने योग्य अपराध किया है,साथ ही आवेदक ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्तगण पर अधिकतम जुर्माना लगाया जावें ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलबध कराया जा सके।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्त सं0 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा अभियुक्त सं0 2 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए। अभियोजन अधिकारी एवं अभियुक्त सं0 1 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

अभियुक्त सं01 के अधिवक्ता ने अपना जवाब पेश कर दौराने बहस निवेदन किया कि आवेदक द्वारा अभियुक्त से खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाये है। आवेदक द्वारा अभियुक्त को कोई विक्रय राशि 480/– रू0 नहीं दी गई है जबाबदार के खाली कागजों में हस्ताक्षर कराये थे। आवेदक ने अभियुक्त के समक्ष कोई सैम्पल की कार्यवाही नहीं की है। अभियुक्त लाइसेन्सधारी दुकानदार है जिसके पास खादय विक्रय का लाइसेन्स है। अभियुक्त के यहां फर्म सुनील खण्डेलवाल के यहां से जरिये बिल रसगुल्ले के पैक डिब्बे बिकने के लिये आये थे जो जिस अवस्था में आये थे उसी अवस्था में अभियुक्त ने आवेदक को दिये है। अभियुक्त ने उक्त पैक डिब्बो के साथ कोई छेडछाड नहीं की है, ना ही अभियुक्त उक्त रसगुल्ले का कोई निर्माता या पैकिंग कर्त्ता है, साथ ही वकील अभियुक्त ने अभियुक्तगण के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध उक्त कार्यवाही ड्रॉप फरमाने हेतु निवेदन किया है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

पत्रावली मे संलग्न खाद्य विषलेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 828/एफएसएसएल/कोटा/एक्ट/2017/971 दिनांक 07.12.2017 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ रसगुल्ला (उत्सव) मिसब्राण्ड का विक्रय व निर्माण करने का दोषी पाया गया है तथा अभियुक्त सं0 2 उक्त खाद्य पदार्थ के कम में बिल/वारंटी आदि प्रस्तुत नहीं कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 27 (2)(d) का उल्लंधन करने व खाद्य सुरक्षा अधिकारी के निर्देशों की पालना (आवश्यक दस्तावेज नहीं भिजवाकर) नहीं करने का दोषी पाया गया है।

अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतित होती है।

अभियुक्त सं0 1 द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 52 के तहत की गई अनियमितता के लिये अभियुक्त सं0 1 को 10,000 (दस हजार) रू0 की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त सं0 2 द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 52,58,55 के तहत की गई अनियमितता के लिये अभियुक्त सं0 2 को 1,00,000 (एक लाख) रू0 की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी, आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक...21.08.2024 . को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि वर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी